खंड १ संख्या ३४

बिहार विधान सभा वादवृत्त

मंगलवार, तिथि १ जुलाई, १९५२

Vol. I. No. 34

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

Tuesday, the 1st July, 1952.

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, बिहार,
रांची।
१९५३।

[मूल्य—६ आना।]
[Price—Annas 6.]

श्री मुहम्मद शफी—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री घनराज शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि जिनके पास रुपये बाकी हैं, उनके हिसाब-किताब करने में मंत्री महोदय का डिपार्टमेंट लज्जा महसूस करती है ?

श्री मुहम्मद शफी—ऐसी बात तो नहीं है।

श्री घनराज शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि एक वर्ष से अधिक हुआ; एक माननीय सदस्य ने P. W. D. मिनिस्टर के यहाँ एक खत लिखा लेकिन उसका Acknowledgment तक नहीं हुआ ?

श्री मुहम्मद शफी—इसकी वाकफियत मैं हासिल करूंगा।

सड़े-गले अन्न की व्यवस्था।

५५। श्री जयनारायण झा 'विनीत'—क्या माननीय मंत्री, पूर्ति एवं मूल्य नियंत्रण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) ऐसे सड़े-गले सरकारी अन्न जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं हैं, अच्छे अन्नों में मिलाकर न बेचे जा सके इसके लिये सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ;

(ख) उन सड़े अन्नों को किस रूप में खपाने की व्यवस्था की जा रही है ;

(ग) क्या उन अन्नों से कुछ आय की भी सम्भावना है यदि हाँ तो अनुमानतः कितने की आय ?

श्री हरिनाथ मिश्र—(क) एवं (ख) जिलाधीशों को आदेश दिया गया है कि अन्न सड़ जाने के कारण जो मनुष्यों के खाने योग्य नहीं रहे उनको अच्छे अन्नों से अलग रखा जाय और यथा शीघ्र नीलाम के द्वारा बेच दिया जाये। कुछ ऐसे अन्न हैं जो पशुओं के खाने के योग्य भी नहीं हैं। इन दोनों प्रकार के अन्नों के लिये यह व्यवस्था की गई है। प्रथम श्रेणी के अन्न नीलाम किये जायं और खरीददारों से लिखित प्रतिज्ञा ले ली जाय कि वे इस अन्न को मनुष्यों के खाने योग्य अन्न से नहीं मिलावेंगे। कोशिश की जाती है कि इस तरह के अन्न गोशालाओं और पिंजरापोल को दिये जायं। दूसरी श्रेणी के जो अन्न हैं उनको खाद के लिये बेचा जाता है। ये अन्न कारखानों में कपड़ा पर मांड़ी चढ़ाने के काम में भी आते हैं।

(ग) यह उम्मीद की जाती है कि सरकार को दाम का एक चौथाई हिस्सा मिल जायेगा।

श्री जयनारायण झा 'विनीत'—क्या यह संभावना है कि व्यापारी लोग अपने एजेंटों से इस तरह के अन्न खरीद लेंगे और अच्छे अन्नों में मिला देंगे ?

श्री हरिनाथ मिश्र—कोशिश की जाती है कि इस तरह के अन्न को गोशालाओं और पिंजरापोल को दिया जाय। जहाँ यह संभव नहीं है वहाँ व्यापारियों को दिये जाते हैं, लेकिन साथ २ यह प्रतिज्ञा ले ली जाती है कि किसी भी हालत में ऐसे अन्न मनुष्यों के खानेवाले अन्न में न मिलाये जायं। प्रतिज्ञा की अवहेलना करनेवालों के प्रति सरकार की जो कार्रवाई होती है वह आपको मालूम है।

श्री जयनारायण झा 'विनीत'—एक आदमी को कितना अन्न खरीदने का मौका दिया जाता है ?

श्री हरिनाथ मिश्र—इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

REFUSAL TO TAKE OUT PROCESSION.

56. Shri CHANDRASHEKHAR SINGH : Will the Hon'ble Minister in charge of the Public Works Department be pleased to state—

(*a*) whether permission to take out a procession in Dinapore on 25th May, 1952 to voice a protest against the partisan attitude of the Deputy Superintendent of Police, Dinapore, was refused to the E. I. Railwaymen's Congress affiliated with the I. N. T. U. C., if so, the reasons and justification for it;

(*b*) whether Government propose to take necessary steps to safeguard the interests of rail *mazdoors* against such acts of suppression ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह—मेरा प्रश्न Divisional Superintendent से है Deputy Superintendent of Police से नहीं है। फिर भी मैं चाहूँगा कि इसका उत्तर दिया जाय।

अध्यक्ष—Divisional Superintendent तो Central Government का नौकर है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—जी हाँ। फिर भी जो Local Officer का जो रिपोर्ट है उस पर जवाब मिलना चाहिये।